



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 08/2026/D-296

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 301121 दिनांक 12/06/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Vikas Sharma S/o Ramesh Chandra sharma एवं Bhawini Sharma W/o VIKAS SHARMA	श्री सुनील गोयल पुत्र श्री पुरुषोत्तम गोयल एवं श्री मनीष कुमार पुत्र श्री राम निवास	SC153	150.00 SQ. METER	JDA	WEST WAY HEIGHTS (TRUCK TERMINAL)	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	आवेदक श्री विकास शर्मा पुत्र श्री रमेश चन्द्र शर्मा एवं श्रीमती भाविनी शर्मा पत्नी श्री विकास शर्मा द्वारा जविप्रा की योजना वेस्ट वे हाईट्स के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या एससी-153 क्षेत्रफल 150 व0मी0 का लीजहोल्ड से फ्री होल्ड पट्टे हेतु आवेदन किया गया है। आवेदित भूखण्ड का लीजहोल्ड पट्टा दिनांक 30.05.2023 को श्री सुनील गोयल पुत्र श्री पुरुषोत्तम गोयल एवं श्री मनीष कुमार पुत्र श्री राम निवास के पक्ष में जारी किया गया था लीजधारकों द्वारा आवेदित भूखण्ड



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

								को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 08.06.2023 (202303019108 396 ई-पंजीयन रजिस्ट्री में दर्शित है) के माध्यम से श्री अनिल जोशी पुत्र श्री नारायण जोशी को बेचान किया गया है। क्रेता श्री अनिल जोशी द्वारा आवेदित भूखण्ड को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 01.06.2026 (202603021120 244 ई-पंजीयन रजिस्ट्री में दर्शित है) के माध्यम से श्री विकास शर्मा एवं श्रीमती भाविनी शर्मा को बेचान किया गया है।	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Vikas Sharma S/o Ramesh Chandra sharma एवं Bhawini Sharma W/o VIKAS SHARMA को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004